

150

प्रारंभिक

H. R. Bhardwaj
 11, Tatyasaheb Marg
 P. O. Box No. 100,
 New Delhi 110001
 India
 91-11-3321111
 91-11-3321112


150

मारत का विधि आयोग

सिविल प्रक्रिया सीहता १९०८ का अधिनियम ५४ में कुछ संशोधनों के बारे में

एक सो फ्लास वी रिपोर्ट

1994



349-54R
 NH-149-
 NH-150-4

विषयक्रम

पृष्ठ

अध्याय - 1 :- सामाज्य भूमिका

1 - 4

अध्याय - 2 :- रिपोर्ट की पृष्ठभूमि

5

अध्याय - 3 :- आदेश 1, नियम 10 ॥ ५ ॥

6 - 11

अध्याय - 4 :- आदेश 22, नियम ॥ ३ ॥

12 - 14

अध्याय - 5 :- सिफारिशें

14

पाद टिप्पणी

15

349.542

N 4.15034

PARLIAMENT LIBRARY
GOVERNMENT OF INDIA
916.11(5)
24/3/95

श्री के.एन.सिंह
भारत के मूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश

अध्यक्ष, विधि आयोग,
भारत सरकार, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली - 110 001.
फोन: कार्यालय 384475
निवास 3019465

मई 10, 1994

अर्द्ध स 0 संख्यांक 6 ॥३॥ ॥२७॥/१५४ वि० जा० ६८८-६

प्रिय प्रधानमंत्री जी,

रेसिविल प्रोक्ट्या सोहता १९०८ का अधिनियम संख्यांक ५३ में कुछ संशोधनों का "सुझाव" विषय पर भारत के विधि आयोग की १५० वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करने हुये मुझे अन्यंत इस्त्र है। १३ वीं विधि आयोग गठित होने के पश्चात् यह ७ वीं रिपोर्ट है।

यह विषय विधि आयोग द्वारा ख्वतः इस दृष्टि से उठाया गया कि रेसिविल प्रोक्ट्या सोहता, १९०८ की असंगतियों को दूर किया जाए। यह उल्लेख करना उचित होगा कि रेसिविल प्रोक्ट्या सोहता के आदेश १ के नियम १०५४ के उपबंध असामाप्त हैं और उनका दुस्तप्रयोग कार्यवाहिकों में विलंब के लिए किया जा सकता है क्योंकि यह दुर्भावनापूर्ण पर-पक्षकारों को उन पर सभनों की तालीम से बचने के लिए अनेक तरीके अपनाने में तब तक समर्थ बनाते हैं जब तक कि पीरसीमा काल पर्याप्त नहीं हो जाता। आयोग की राय है कि इस रिपोर्ट में जिन विसंगतियों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है उन्हें जारी नहीं रहने दिया जाना चाहिए।

आयोग को विश्वास है कि ये सिफारर्स न्याय के त्वारित और प्रभावूर्ण प्रशासन के लिए मैं कापी प्रणालीशाली होंगी।

सादर,

भवद्वय,

के.एन.सिंह ६

माननीय श्री पी.वी. नरसिंह राव,
प्रधानमंत्री तथा विधि, न्याय और कंपनीकार्य मंत्री,
नई दिल्ली
मंत्रालय: उपरोक्त।

अध्याय - ।

सामाजिक भूमिका

1.1 1908 की सीहता

सिविल न्यायालयों में वादों और अन्य कार्रवाईयों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित विधि इस शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में सिविल प्रक्रिया सीहता 1908 का अधिनियम 5 द्वारा सीहताबद की गई थी। प्रक्रिया के इन नियमों की पर्याप्ति, देश की स्वतंत्रता और भारत के सीधान के 1950 में लागू होने के परिणामस्वरूप प्रारंभ हुई नई व्यवस्था के साथ अनुसृप्ता और इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर, कि सीहता किस सीमा तक समय की क्षेत्रों पर तथा सार्वजनिक, राजनीतिक और विधिक वातावरण के परिणामस्वरूप देश में मुकदमेवती के विशेष भार को बहन करने में समर्थ है, विधि आयोग की अनेक रिपोर्टों में विस्तृत रूप से विचार किया गया है।

1.2 14 वी रिपोर्ट

सीधान के प्रवृत्त होने के पश्चात् नियुक्त किए गए प्रवर्म विधि आयोग {1955-56} ने अपना ध्यान ऐसे कुछ महत्वपूर्ण अधिनियमों और कानूनी विधियों पर किया था जिनमें सुधार की अत्यंत आवश्यकता थी। विधि आयोग ने 16-9-58 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में भारत में नये प्रशासन के समक्ष उपरिक्त बड़ी समस्याओं पर विचार किया था और उनमें सुधार के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशों की थी। न्यायालयों को, जिनके अन्तर्गत सिविल न्यायालय भी हैं, प्रक्रिया में सुधार के क्षेत्र विभिन्न प्रश्नों और समस्याओं पर इस रिपोर्ट में चर्चा की गई थी।

1.3 27 वी रिपोर्ट

विधि आयोग की दिसंबर 1964 की 27 वी रिपोर्ट में 1908 की सीहता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा स्कीम की विस्तृत परीक्षा की गई थी। आयोग का मोटे तौर पर यह मत था कि सीहता सुविचारित रूप से रची गई थी पर सीहता के जीवनकल में अधीन शताब्दी के दौरान जो निर्णय विधि एकत्र हुई थी उसका तथा साथ ही अन्य देशों में विशेष रूप से इंग्लैंड में 1962 में किए गए सुधारों का पुनरीक्षण करने के पश्चात् आयोग को यह प्रतीत हुआ कि सीहता के कुछ उपबंधों में कोतप्य पीरवर्तन करने को आवश्यकता थी और तदनानुसार उसमें संशोधनों की सिफारिश की गई। विधि आयोग को रिपोर्टों को कियान्वित करने के लिए संसद में एक विधेयक भी सम्यक रूप से पेश किया गया था किन्तु वह विधेयक व्यपगत हो गया।

- 2 -

1.4. 54 वीं रिपोर्ट :

जब विधेयक को पुनः पेश करने का प्रश्न उठा तो भारत सरकार ने यह उचित समझा कि सौहता पर नये सिरे से विचार करने लिए विधि आयोग से निवेदन किया जाए। यह 1972 की बात है। इस प्रकार आयोग की 54 वीं रिपोर्ट में, जो फरवरी 1973 में दी गई, विधिन्न प्रश्नों पर उनके सभी पक्षों और परीणामों को ध्यान में रखकर परीक्षा की गई और न्याय प्रशासन के त्वीरत और प्रभावपूर्ण हित को अच्छी प्रकार से पूरा करने के लिए प्रक्रिया संबंधी विधि का पूर्ण रूप से सौहतावद करने का सुझाव दिया गया। इस रिपोर्ट में सौहता की परीक्षा

एक ३ खर्चों को कम करने,
४था ३ मुकदमेबाजी में विलम्ब को दूर करने,
५ग ३ आयोग को निदेश की शर्तों का पुनरीक्षण करने, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण शर्त सौक्षम्यान के मार्गनिदेशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन था,

की दृष्टि से परीक्षा की गई। तथापि, आयोग ने पुनः उन विषयों पर विचार करना आवश्यक नहीं समझा जिन पर पूर्वोत्तर रिपोर्टों में चर्चा की गई थी, सिवाय वहाँ जहाँ आयोग अपनी सिफारिशों से असहमत था अथवा जहाँ उसने किन्हीं विशेष सिफारिशों की पुनः चर्चा करना और उन पर बल देना आवश्यक समझा था। सौहता के नगमण पन्थेक उपक्रम और लगभग प्रत्येक सामान्य पहलू पर भलीभांत विचार किया गया, जिन पर विचार करने का आवश्यकता थी, और एक तत्वपूर्ण रिपोर्ट, जो 347 मुद्रित पृष्ठों में थी, फरवरी 1973 में सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई।

1.5. 55 वीं और 56 वीं रिपोर्टें :

54 वीं रिपोर्ट की प्रांतपूर्त धोड़े दिन के पश्चात् ही आयोग की अगली दो रिपोर्टें द्वारा, जो क्रीतपय स्वतंत्र विषयों पर थी, की गई। 54 वीं रिपोर्ट (तो 4.5.73) में डिंकियों पर व्याज की दर तथा 1908 की सौहता की धारा 34 और 35 के अन्तर्गत खर्चों के विषय पर चर्चा की गई थी। 55 वीं रिपोर्ट (तो 4.5.73) को पन्त्र जा गई थी; कुछ कानूनी उपवंशों के अन्तर्गत व्यापक रूप से अपेक्षित जाइ करने के विषय में थी।

1.6 सिविल प्रक्रिया सौहता संशोधन अधीनियम, 1976 :

यह अत्यंत संतोष की बात है कि सिविल प्रक्रिया सौहता के बारे में विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों तात्काल रूप से स्वीकार की गई और सौहता में 1976 के संशोधन के द्वारा वे अपेक्षित की गईं।

1.7 आगे का इतिहास--

1976 में सौहता में बड़े पेमाने पर संशोधन करने के पश्चात् लगभग 20 वर्ष बीत चुके हैं। सिविल न्यायालयों में मुकदमों की संख्या, विलंब और सर्व के परिणाम और मुकदमेबाजी से उत्पन्न अन्य कठिनाइयाँ इस अधिपि में अत्यधिक बढ़ी हैं। यश-कदा भयावह ऐसा मत भी व्यक्त किया जाता है कि सौहता का विधमान एंगलो-सेशन रूप जिसमें प्रक्रिया की विषम प्रणाली समिलित है, इन कठिनाइयों को देखते हुए जारी नहीं रह सकती, और शीघ्र ही निश्चित रूप से ढह जाएगी। तथापि सामान्यतया यह अनुभव किया गया है कि यदि वर्तमान प्रणाली जारी भी रहती है तब भी प्रक्रिया संबंधी सौहता में कुछ गहन सुधार आवश्यक हैं यदि वह मुकदमा करने वालों की आवश्यकताओं को संतोषप्रद रूप से सुधार आवश्यक है और न्याय की क्षतिरूपी और त्वरित प्रणाली की व्यवस्था करना चाहती है। इसके लिए, जैसी कि 54 वीं रिपोर्ट में सिफारिश की गई है, सबसे पहले जनसाधारण और विशेषज्ञों की राय उन विभिन्न कदमों के बारे में प्राप्त करना आवश्यक है जो इस क्षेत्र में तात्त्विक परिवर्तन करने के लिए आवश्यक हैं। निःसंदेह इस कार्य को विधि ज्योग को ही शीघ्र करना होगा। यह कार्य आयोग वाद में भी कर सकता है किन्तु इस समय यह छोटा ही रिपोर्ट सिविल प्रक्रिया संबंधी के आदेश, 1 नियम 10 और, आदेश, 22 नियम 13 के संशोधन की तुरंत आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रस्तुत की जा रही है।

1.8 अंतिम संशोधनों की आवश्यकता--

सौहता में पूर्ण रूप से सुधार करने के लिए उसकी किन्तु रूप से परिष्कार करने का समावना के कारण, हम समझते हैं कि विधमान ढाँचे में स्पष्ट रूप से आवश्यक पारवनन को प्रक्रिया को रोका नहीं जाना चाहिए। जो स्थिरांत है उसमें एक समीकृत सौहता नेयार करने का कार्य इस अधिनियम में पाई जाने वाली सभी त्रुटियों का एकमात्र उपचार नहीं हो सकता। किसी विधमान कानून में समय-समय पर सम्पूर्ण पारवर्तन करने का विचार करने की प्रक्रिया के साथसाथ यह विचार करना भी आवश्यक है कि समय-समय पर जो विसंगतियाँ और त्रुटियाँ सामने आई उन्हें ठीक किया जाए। इस प्रकार ज्योग को, सौहता की पूरी 54 वीं रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् शीघ्र ही यह लगा कि दो छोटे विषयों के बारे में छोटी रिपोर्ट (55 वीं और 56 वीं रिपोर्ट) प्रस्तुत करना आवश्यक है ताकि संबोधित विषयों के बारे में कुछ पारवर्तनों का सुझाव दिया जा सके। पुनः, हाल ही में, 1991 में, आयोग को यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि सिविल प्रक्रिया के आदेश 5, नियम 19 शुक्र 8 और आदेश 21, नियम 32 शुक्र 8 में अपनी रिपोर्टों में (139 वीं और 140 वीं रिपोर्ट) में संशोधनों की सिफारिशों की जाए। पुनः, 1992, आयोग का 144 वीं रिपोर्ट में सौहता के अनेक उपचारों में, इन उपचारों की बाबत न्यायालयों की रायों में असंगतियों को समाप्त करने की दीप्ति से, अनेक संशोधनों का सुझाव दिया गया है। विधि आयोग को समाप्त करने की दीप्ति से, अनेक संशोधनों का सुझाव दिया गया है।

की ऐसी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई है जिनमें दंड प्रक्रिया सौहिता के कठिनपथ उपर्याँ में कुछ संशोधन करने की आवश्यकता पर बन दिया गया है। किसी कानून में आवश्यक संशोधनों का सुझाव देने की यह प्रक्रिया निरंतर और अपरिहार्य है। इन हो में साधारण का ध्यान इस ओर गया है कि सिविल प्रक्रिया सौहिता के कुछ अन्य उपकंथ और भी हैं जिनमें संशोधन कानूनों में तदन्तर संशोधनों की पृष्ठभूमि संशोधन करने की आवश्यकता है। ऐसे संशोधनों पर विचार करने के कार्य को तब तक स्थगित रखा जाएगा तक तक तक उनको संव्या कार्य नहीं हो जाती या जब तक कि प्रशासनिक कानून में व्यापक संशोधन करने के पश्च पर विचार नहीं हो जाता, कोई तत्व नहीं है। इस कारण से आयोग ने इस रिपोर्ट को स्वतः प्रस्तुत करना आवश्यक समझा है यद्यपि यह सिविल प्रक्रिया सौहिता 1908 के केवल दो उपकंथों तक सीमित है।

X

इस रिपोर्ट की पृष्ठभूमि

- 2.1 सिवल प्रक्रिया सीहता । 1908 का अधिनियम 5 ॥ १ जिसे इसमें इसके पश्चात् "सीहता" कहा गया है ॥ 1908 में अधिनियमत की गई थी। पारंपारिक व्यवस्था जहाँ इसके उपबंधों का विषय परिसीमा काल की कुछ बातें थीं वहाँ भारतीय परिसीमा अधिनियम ॥ 1877 का 15 ॥ १ जिसे इसमें इसके पश्चात् " 1877 का अधिनियम" कहा गया है ॥ के सुसंगत उपबंधों के प्रति निर्देश किया गया था । तथापि, यद्यपि 1877 के अधिनियम के स्थान पर भारतीय परिसीमा अधिनियम ॥ 1908 का 9 ॥ १ जिसे इसमें इसके पश्चात् " 1908 का अधिनियम" कहा गया है; लाया गया और उसके पश्चात् उसके स्थान पर परिसीमा अधिनियम ॥ 1963 का 26 ॥ १ जिसे इसमें इसके पश्चात् " 1963 का अधिनियम" कहा गया है ॥ लाया गया और सीहता में भी 1976 के अधिनियम 104 द्वारा व्यापक संशोधन किए गए, सीहता में भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1877 के प्रति निर्देश ज्यों के त्यों रहे आए। अपने आप में यह बात बहुत यद्यपीपूर्ण नहीं है—सिवाय इसके कि इतने समय पूर्व निरीक्षित कानून के प्रति निर्देशों को 1976 में लाय गए अनेक संशोधनों के साथ सुधार किया जाना चाहिए था—जैसा कि ऐसी स्थिति के लिए साधारण खंड अधिनियम की धारा 8 में उपबंध किया गया है । तथापि, सीहता में भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1877 के प्रति निर्देश केवल दो स्थानों पर है । अब यह प्रतीत होता है कि पश्चात्कर्ता कानून के प्रकाश में इन उपबंधों में संशोधन अपेक्षित है जैसा कि आगे स्पष्ट किया गया है ।
- 2.2 सीहता के एक अन्य उपबंध में ॥ आदेश 21, नियम ॥ 92 ॥ २ ॥ १ 1877 के अधिनियम में वीहयत परिसीमा की अवधि में आधार पर समय की परिसीमा बिहीत की गई थी। परिसीमा अधिनियम, 1963 द्वारा 1877 के अधिनियम में संशोधन किया गया था, किन्तु सीहता के बिहीत अवधि में कोई पाणिमिक संशोधन करने पर कोई ध्यान नहीं दिया था । इससे एक विसंगति पैदा हो गयी और सीहता के आदेश 21 के नियम 92 ॥ २ ॥ में संशोधन करने की आवश्यकता 1963 के अधिनियम के प्रकाश में उत्पन्न हो गई । इस विषय को आयोग ने अपनी 140 वीं रिपोर्ट में रखा था ।
- 2.3 तथापि ऊपर पैदा 20। में उल्लिखित दोनों विसंगति रह गयी है । आयोग की राय है कि इन विसंगति को बने नहीं रहने दिया जाना चाहिए और आयोग की 139वीं, 140 वीं और 141 वीं रिपोर्ट के संदर्भ में जो भी कार्यवायी की जाये उसके साथ इन उपबंधों में संशोधन करने की कार्यवायी भी की जानी चाहिए । इसी की बावजूद यह रिपोर्ट है ।

अध्याय - 3

आदेश । नियम 10^{१५}

३०। 1877 के अधीनयमों का पहला उल्लेख सीहता के आदेश ।, नियम 10 में हुआ है। सीहता के आदेश । की विधयकस्तु "वारों के पक्षकार" है और उसके नियम 10 में कठिपय ऐसी स्थितियों का वर्णन किया गया है जिनमें पहले ही दाखिल किए गए किसी वाद में नये पक्षकार जोड़ने या प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता पैदा होती है। यह नियम निम्नलिखित रूप में है।

" १० १५ जहाँ कोई वाद वादी के रूप में गलत व्यक्ति के नाम से सौंधन किया गया है, या जहाँ यह संदेहपूर्ण है कि व्या वंह सही वादी के नाम में सौंधत किया गया है वही यदि वाद के किसी भी प्रक्रम में न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि वाद सद्भाविक भूल से सौंधत किया गया है और विवाद में के वास्तविक विभाय के अवधारण के लिए ऐसा करना आवश्यक है तो, वह ऐसे निबन्धनों पर, जो वह न्यायसंगत समझे, वाद के किसी भी प्रक्रम में किसी अन्य व्यक्ति को वादी के रूप में प्रतिस्थापित किए जाने या जोड़े जाने का आदेश दे सकेगा।

१२ न्यायालय कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम में या तो दोनों पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर या उसके बिना और ऐसे निबन्धनों पर तो न्यायालय को न्यायसंगत प्रतीत हों, यह आदेश दे सकेगा कि वादी के रूप में या प्रतिवादी के रूप अनुचित तौर पर संयोजित किसी भी पक्षकार का नाम काट दिया जाए और किसी व्यक्ति का नाम जिसे वादी या प्रतिवादी के रूप में ऐसे संयोजित किया जाना चाहिए था या न्यायालय के सामने जिसकी उपस्थिति वाद में अन्तर्वालित सभी प्रश्नों का प्रभावी तौर पर और पूरी तरह न्यायनिर्णयन और निपटारा करने के लिए न्यायालय को समर्थ बनाने की दृष्टि से आवश्यक हो, जोड़ दिया जाए।

१३ कोई भी व्यक्ति, वाद-नीमत्र के बिना वाद लाने वाली वादी के रूप में अथवा उस वादी के, जो किसी नियोजिता के अधीन है, वाद-नीमत्र के रूप में उसको सहमति के बिना नहीं जोड़ा जाएगा।

३४ जहाँ कोई प्रतिवादी जोड़ा जाता है वहाँ जब तक न्यायालय न्याया निर्णय न करे बादपत्र का इस प्रकार संशोधन किया जाएगा, तोसा नावरकूल हो, जोर समन की ओर बादपत्र की संशोधित प्रीतयाँ की तामील नए प्रतिवादी पर, जोर यदि न्यायालय ठीक समझे तो मूल प्रतिवादी पर को जाएगा।

३५ डॉडेंडेन लिमिटेशन ऐवट, १८७७ (१८७७ का १५) को धारा २२ के उपचाँडी के लिए रहते हुए, प्रतिवादी के रूप में जोड़े गए वाक्ल के विस्तृत वर्णन के बहुत सारी तामील पर आरंभ जाएंगी।

३.२ उपरोक्त नियम ५ का स्पष्ट रूप से यह आशय है कि जहाँ किसी नये पक्षकार को बाद में, प्रतिवादी के रूप में जोड़े गए वाक्ल के विस्तृत वर्णन के बहुत सारी तामील पर आरंभ जाएंगी जिस तारीख को बाद के समन उस पर तामील किए जाते हैं यह पौरकृत्यना मूल्य रूप से भले ही आत्मीतक रूप से नहीं, पौरसीमा के उस अभिवाक् को सुरक्षित रखने के लिए सृजित की गई है जिसे ऐसा पक्षकार उठा सकता है तथा किसी पर-पक्षकार को इस आधार पर ऐसा अभिवाक् करने में सक्ति बनाने के लिए सृजित की गई है कि, जहाँ तक उसका संबंध है, बाद उस तारीख को संस्थित माना जाना चाहिए जिस तारीख को बाद के समन उस पर तामील किए गए हैं।

३.३ तथापि, उक्त नियम में प्रयुक्त भाषा में दो कामयाँ हैं। पहला तो यह कि इस उपनियम में यह कहा गया है कि जहाँ नक रोमे पक्षकार का संबंध है "कार्यवाही समन की तामील होने पर आरंभ समझा जाएगा, बताय इसके कि इन शब्दों का प्रयोग किया जाता कि "बाद" ऐसी तामील ढांचे पर ही "संस्थित किया गया समझा जाएगा।" ये शब्द किसी पर-पक्षकार को पौरसीमा का अभिवाक् करने की बाबत पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करता जो कि बादपत्र को "संस्थित करने की तारीख" न कि प्रतिवादी के विस्तृद" कार्यवाही आरंभ समझी जाएगी" की तारीख पर आधारित होता है। ये शब्द, जहाँ नक कि नये रूप से जोड़े गए प्रतिवादी का संबंध है, बाद को संस्थित करने की तारीख में पौरवर्तन करने के लिए पूरी तरह प्रभावी नहीं हैं।

३.४ दूसरी बात यह है कि यह भाषा पौरसीमा आधीनयम के बनाने उपचाँडी, अर्थात्, १८७७ के आधीनयम और जो कि उस समय नागू था तब सोहना आधीनयम की गई थी, की धारा २२ और १९०८ के आधीनयम, उसके द्वारा बह प्रतिस्थापित किया गया था, कुछ हद तक प्रानकूल है। ये उपचाँडी भान्वक रूप से समान थे और निम्नलिखित रूप में थे।

"धारा 22॥। जहाँ, वाद सौंख्यत हो जाने के बाद, कोई नया वादी या प्रतिवादी प्रतिस्थापित किया जाता है या जोड़ा जाता है वहाँ वाद, जहाँ तक कि उसका संबंध है, तब तक सौंख्यत किया गया समझा जाएगा जब उसे पक्षकार बनाया गया था।"

इस उपबंध का प्रभाव, नये जोड़े गए प्रतिवादी की बाबत, वाद को सौंख्यत करने की तारीख को उस तारीख के लिए स्थिरित करना था जिससे उसको पक्षकार बनाया गया था और इस प्रकार उसे परिसीमा के उचित अधिवाक् को उठाने के उसके अधिकार को सुरक्षित करना था। नियम 10 के उप नियम 5 का स्पष्ट आशय इस तारीख को और वाद तक स्थिरित करने का था और इस प्रकार ऐसे मामलों में धारा 22 के प्रभाव को परिवर्ति करने का था और इस मुख्य रूप से यह उपबंध करने का था कि ऐसा वाद ऐसे पक्षकार को बादत उस पर समन तामील की तारीख सौंख्यत किया गया माना जाएगा और भोरसीमा के उपबंध इस प्रकार से उपान्तरित रूप में लागू होंगे।

3.5 नियम 10 के उप नियम १२॥ की मांग के अनुसार उस उप नियम के अधीन प्रतिवादी के रूप में जोड़ा गया व्यक्तिया तो वह होगा जिसे प्रारम्भ में ही प्रतिवादी के रूप में जोड़ा जाना चाहिए था, अथवा वह होगा जिसकी कि न्यायालय के समक्ष उपस्थित वाद के सभी प्रश्नों के पूर्ण और प्रभावी रूप से अधिनियम के लिए आवश्यक समझी जाती है। मूल रूप से वाद में प्रतिवादी रूप में उसे जोड़ने की भूल चोड़े वादी की ओर से गलती के करण हो जिसे वादी के आवेदन पर अथवा न्यायालय की ओर से ही ठीक करने का निवेदन किया जाता है अथवा उसे जोड़ने की आवश्यकता वादी को या न्यायालय को प्रतीत होती है और यह ऐसा करने के लिए अप्रसर होते हैं, दोनों ही स्थितियों में नये रूप में जोड़ा गया प्रतिवादी उसके विस्तर वाद [अथवा कार्यवाडी] सौंख्यत करने में विलंब के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकता और, अतः उसे वाद को सौंख्यत करने की मूल तारीख और उस तारीख के बीच जिसको कि पक्षकार के रूप में जोड़ा गया है, विलंब के परिणामस्वरूप उसे उपलब्ध परिसीमा के किसी अधिवाक् से बीचत नहीं किया जाना चाहिए। 1877 और 1908 के अधिनियमों की धारा 22॥। का यही उद्देश्य था और सोडता के आदेश । के नियम 10 ॥५॥ का उद्देश्य था कि इस प्रयोगे को और अधिक उदार बनाया जाना चाहिए तथा वह उस तारीख तक उपलब्ध रहना चाहिए जिस तारीख को नये रूप से जोड़ा गया प्रतिवादी के रूप में पक्षकार के जोड़े जाने के पश्चात् ख़ा समन प्राप्त करता है। लेकिन ऐसी स्थिति में उप नियम निम्ननीतिकृत रूप में होना चाहिए था:

"भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1877 में अंतर्विधि किसी उपबंध के होते हुए भी, उर्ध्वनियम ४२४ के अधीन प्रतिवादी के स्वरूप में जोड़े गए व्यक्तियों तक संबंध है, बाद केवल उस तारीख के संस्थान किया गया समझा जाएगा जिसको उस पर बाद का सम्मन तामील किया जाता है।"

"भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1877 के उपबंधों के अधीन रहते हुए" शब्द संदर्भ से पूर्णस्पेषण असंगत है। इन्ही शब्दों के कारण 1877 के अधिनियम की बात उठती है और क्योंकि उस अधिनियम में पहले ही यह उपबंध है कि यह माना जायेगा कि हाल उस तारीख को आरम्भ हुआ जिसको नया प्रतिवादी जोड़ा जाता है, अतः नियम 10५५ में आप शब्द उस नियम को धारा 22 के अधीन रहते हुए कह कर कोई नई बात नहीं जोड़ रहे हैं।

3.6

नियम 10५५ का प्रयोजन परिसीमा अधिनियम, 1963 के अधिनियमित हो जाने के पश्चात् और भी निर्धक हो जाता है। 1963 के अधिनियम की धारा 21, 1877 और 1908 के अधिनियमों की धारा 22 की तस्थानी है किन्तु धारा 21 के परन्तुक को अतः स्थापित करने के कारण उसका पूरा प्रभाव बदल जाता है। यह धारा इस प्रश्नार से है:-

"21. नए वादी या प्रतिवादी को प्रतिस्थापित करने या जोड़ने का प्रभाव:

११५ बाद संस्थान किए जाने के पश्चात्, जहाँ कोई नया वादी या प्रतिवादी प्रतिस्थापित किया जाता अथवा जोड़ा जाता है वहाँ बाद, उसकी बाबत, तब संस्थान किया गया समझा जाएगा जब उसे इस प्रकार पक्षकार बनाया गया था,

परन्तु जहाँ न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि नए वादी या प्रतिवादी को समीक्षित करने में लोप सद्गमावपूर्वक हुई त्रुटि के कारण था तो न्यायालय निर्देश दे सकता है कि बाद किसी पूर्वतर तारीख को संस्थान किया गया समझा जाएगा।"

3.7

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 8 का प्रभाव यह है कि वह नियम 10५५ में 1877 के अधिनियम की धारा 22 का उल्लेख किए जाने के कारण, जो 1963 के अधिनियम की धारा ११२१ के उत्तरकर्त्ता उपबंध के प्रति निर्देश है पढ़ने वाले को धारा 22 के प्रति निर्देश को पढ़ने के लिए बाध्य करता है।

1963 के अधिनियम की धारा 21 और सीहता के आदेश । के नियम 10^{४५६} सीहती हैं यद्यपि नियम 10^{४५८} को धारा 21 के अधीन कहा गया है। धारा 21 का उद्देश्य यह है कि नए प्रतिवादी का जहां तक सम्भव है वाद उस तारीख को परइल किया गया माना जाए जिसको उसे पक्षकार पनाया गया है । और न्यायालय को यह विवेकाधिकार है कि वह वाद के पूर्वतर परइल किया गया भी मान सकता है । । दूसरी ओर, नियम 10^{४५८} का प्रयोग यह है कि वाद उस तारीख को परइल किया गया माना जाए जिसको नए प्रतिवादी पर समन तामील हुआ है। इस संर्कर्म में, नियम 10^{४५८} को धारा 21 के अधीन करने का कोई अर्थ नहीं है, उसके उपर्युक्त, परिसीमा अधिनियम में किसी बात के होतेहुए भी, प्रवृत्त होने चाहिए, जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है ।

10.8

अतः वास्तविक प्रश्न यह उठता है कि समन की तामील की तारीख को ही वह तारीख मान कर जिसको नए प्रतिवादी के विरुद्ध "वार्यवाही प्रारम्भ हुई समझी जायेगी" नियम 10^{४५८} में जिस पराम्परा का प्रयास किया गया है वह करने योग्य है भी या नहीं और क्या नियम 10^{४५८} का पूरी तरह लोप कर देना और 1963 के अधिनियम की धारा 21 के उपर्युक्तों व्ये बिना किसी परिवर्तन के प्रवृत्त रखना अधिक सहज और साम्यांपूर्ण नहीं होगा क्योंकि ये उपर्युक्त लगभग प्रवृत्त रखना अधिक सहज और साम्यांपूर्ण नहीं होगा क्योंकि ये उपर्युक्त लगभग उसी शिर्षीत का समाधान करने के लिए हैं जिसके लिए आदेश । के नियम 10 उसी शिर्षीत का समाधान करने के लिए हैं जिसके लिए आदेश । के नियम 10^{४५८} में उपर्युक्त किया गया है। हम समझते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक ही होना चाहिए । निःसन्देह न्याय और साम्या के छह में यह अपेक्षित है कि किसी पर-पक्षकार पर, वाद में उसे पहले ही पक्षकार बनाने में चूक, लोप अथवा उपेक्षा के परिणाम स्वरूप उपलब्ध परिसीमा के अधिकार को प्रस्तुत करने पर प्रतिकूल प्रभाव का उपलब्ध करना, जैसा कि 1963 के अधिनियम की धारा नहीं पड़ना चाहिए । यह उपलब्ध करना, जैसा कि 21 में किया गया है, पूर्णतया उचित होगा कि ऐसे मामलों में, जहां तक कि नये जोड़े गए प्रतिवादी का सम्भव है, वाद को सीखत करने की तारीख ही वह तारीख होगी जिसको उसे पक्षकार के रूप में जोड़ा जाता है। इस नियम को शिर्षीत सुरक्षा के लिये आवश्यक उपाय है । दूसरी ओर, नियम 10^{४५८} के उपर्युक्त संस्थापन की तारीख को ही वह तारीख मानते हैं जिसके नये जोड़े गये पक्षकार पर समन की तारीख को ही वह तारीख मानते हैं जिसके नये जोड़े गये पक्षकार पर समन तामील होता है । इस प्रकार दोनों उपर्युक्तों में असंगत है । 1963 के अधिनियम की धारा 21 के अधीन, नये जोड़े गए प्रतिवादी के विरुद्ध वाद उस तारीख को

संविधान किया गया नहीं समझा जायेगा जिसको उसे प्रक्षकार के रूप में जोड़ा गया है बहिक उस पश्चात्‌वर्ती तारीख से जिसको उस पर सम्मन तामील होता है। यह निर्देश है क्योंकि सिद्धान्ततः परिसीमा काल की संगणना उस समय के सम्बन्ध में की जानी चाहए जब वादी ने प्रश्नगत प्रतिवादी के विस्त कानूनी कार्यवाही करने के लिए कदम उठाया हो और यह किसी पश्चात्‌वर्ती घटना पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। वाद को संविधान करने की तारीख को 1963 के अधिनियम की धारा 21 में उपर्युक्त की गई तारीख से आगे स्थगित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नियम 10(5) का उपर्युक्त असाम्यापूर्ण ही है और उसका दुष्प्रयोग कार्यवाही में देर करने के लिए किया जा सकता है क्योंकि इसके कारण पर-प्रक्षकार सम्मन की उन पर तामील होने से तब तक बचने के लिये, जब तक कि परिसीमा की अवधि समाप्त नहीं हो जाती, तर तरह के तरीके अपनाने में समर्थ हो सकेंगे।

309

उपरेक्षत कारणों से यह स्पष्ट है कि नियम 10(5) की कोई आवश्यकता नहीं रही है। अतः राह सिपाहियों की जाती है कि लिंगिल प्रक्रिया सीढ़ता, 1908 के अवेद्ध 1 के नियम 10 के उपनियम 5 का लोप कर दिया जाये।

— X —

अध्याय 4

आदेश 22, नियम 9 § 3 §

4.1 आदेश 22 उस कार्यवाही के सम्बन्ध में है जो वाद संरित्यत करने के पश्चात् पक्षकारों की मृत्यु, विवाह और दिवालियापन हो जाने की दशा में करनी होती है। यहां हमारा सम्बन्ध केवल किसी वाद में वादी की मृत्यु के मामले से है। नियम 1 से 6 तक में यह उपबंध है कि किसी पक्षकार की मृत्यु के कारण वाद उपशमन नहीं होगा यदि वाद लाने का अधिकार बना रहता है तथा उस वाद के मृत पक्षकार के विधिक प्रतीनिधियों द्वारा जारी रखने की अनुमति दी जा सके यदि वे मृत पक्षकार के स्थान पर बाद में प्रतिस्थापित करने के लिए अवेदन करते हैं। तथापि नियम 3 § 2 § यह उपबंध करता है कि यदि मृत वादी के विधिक प्रतीनिधि अभिलेख पर आने के लिए उसके लिए विनीर्दिष्ट अवधि के भीतर, जो कि मृत्यु की तारीख से 90 दिन है, ऐसा आवेदन करने में असफल रहते हैं तो वाद का उपशमन हो जायेगा।

4.2 नियम 9 इस स्थिति से बचने के लिए एक रास्ता प्रदान करता है। यह नियम निम्नलिखित रूप में है ॥ यहां तक कि वह हमारे प्रयोजन के लिये सुरांगत है ॥

" 9 § 1 §

यहां वाद का इस आदेश के अधीन उपशमन हो जाता है या वह सारिज किया जाता है वहां कोई भी नया वाद, उसी वाद हेतुक पर नहीं लाया जाएगा।

(2) वादी या मृत वादी के विधिक प्रतीनिधि होने का दावा करने वाला व्यक्ति या दिवालिया वादी की दशा में उसका समनुरूपीतीया रिसीवर, उपशमन या सारिजी अपास्त करने वाले आदेश के लिए आवेदन कर दिया जाता है कि वाद चालू रखने से वह किसी पर्याप्त हेतुक से निवारित रहा था तो न्यायालय खर्चे के बारे में ऐसे निबन्धनों पर या अन्यथा, जो वह ठीक समझे, उपशमन या सारिजी अपास्त करेगा।

(3) इंडियन लिमिटेशन एक्ट, 1877 § 1877 का 15 § की धारा 5 के उपबंध उपनियम ४२ § के अधीन आवेदनी को लागू होगे।

4 . 3

नियम स्पष्ट और ध्वनीहित है। उपशमन को अंतिष्ठित करने का आवेदन उपशमन की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर प्रवृत्त करना होता है: § 1877 और 1908 के अधीनियमों की अनुसूची का अनुच्छेद 121। तथाप इस बंठन नियम का शिविरीकरण आवश्यक था क्योंकि ऐसी परिस्थितियां हो सकती थीं जिनमें समय के लिये, कोई अपील या आवेदन या ऐसा कोई आवेदन, जिसे यह धारा, जैसी कि वह तत्समय प्रवृत्त हो, लागू होती है " प्रवृत्त करने में विलम्ब को भाफ कर सकेगा और उसे चिह्नित अवधि के पश्चात् ग्रहण कर सकेगा। रेसोक्त शब्दों को ध्यान में रखते हुए उपधारा § 3। जोड़ने की आवश्यकता हुई जिसके द्वारा 1877 के अधीनियम की धारा 5 के उपबंधों को सीहता के आदेश 22, नियम 9 § 2। के अधीन किये जाने वाले आवेदनों को विर्नार्दिष्ट रूप से लागू किया गया।

4 . 4

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, 1877 के अधीनियम केस्थान पर पहले 1908 का अधीनियम लाया गया और पुनः उसके स्थान पर 1963 का अधीनियम लाया गया। यथापि 1908 के अधीनियम की धारा 5 में तात्काल रूप से 1877 के अधीनियम की धारा 5 की भाषा को ही दुहराया गया है, 1963 के अधीनियम की तत्सम्बन्धी धारा 5, जिसे साधारण खंड अधीनियम की धारा 8 के बरण सीहता के आदेश 22 के नियम 9 § 3। में पढ़ना होता है, एक भिन्न भाषा में है। यह निम्नतासित रूपमें है (जहाँ तक कि वह सुसंगत है) :

" 5. कुछ दशाओं में चिह्नित अवधि का विस्तार:

रिविल प्रक्रिया सीहता, 1908 के आदेश 2। के किसी उपबंध के अधीन आवेदन से भिन्न कोई अपील या आवेदन चिह्नित अवधि के पश्चात् ग्रहण किया जा सकेगा यदि अपीलार्डी या आवेदक न्यायालय का यह समाधान कर देता है कि ऐसी अपील या आवेदन समय के भीतर प्रस्तुत न करने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण था।"

भाषा में जो परिवर्तन है वह महत्वपूर्ण है। 1963 के अधीनियम की धारा 5 के अधीन विलंब को भाफ करने की शर्वत सीहता के अधीन न्यायालय पर समस्त प्रस्तुत किये सभी आवेदनों के सम्बन्धमें हैं उसमें उल्लिखित एक अपवाद को छोड़ कर। स्वतः उपलब्ध हो गई है और ऐसी शर्वत का प्रयोग करने के लिए इस बात की आवश्यकता नहीं है कि धारा 5 के उपबंधों को सुसंगत कानून में तलाश किया जाये।

4.5

अतः आदेश 22 के नियम 9 के उपानयम ३। की आवश्यकता नहीं रह जाती है। यह सच है कि अब उसकी विधानता निरर्थक है। तथापि, इस दृष्टि से एक सीहता के अधीन प्रस्तुत किये जा सकने वाले आवेदनों के असंख्य प्रवर्गों में से केवल एक की बाबत ऐसा विनार्दिष्ट उपबंध कोई विसंगत या आशंका उत्पन्न न कर दे और उसकी स्पष्ट निरर्थकता की दृष्टि से, यह उचित है कि सीहता के आदेश 22 के नियम 9 के उपानयम ३। का लोप कर दिया जाये। अतः हम तदनुसार सिफारिश करते हैं।

अध्याय 5

सिफारिशें

5.1

ऊपर जिन कारणों की चर्चा की गई है उनके आधार पर हम सिफारिश करते हैं कि सीबिल प्रॉक्रिया सीहता १९०८ का अधीनयम ५। में निम्नालिखित संशोधन किये जायें : -

(क) सीहता के आदेश । के नियम १० के उपानयम ५। का लोप किया जाये,

(ख) सीहता के आदेश 22 के नियम 9 के उपानयम ३। का लोप किया जाये।

5.1

हम अपनी १३९ वीं और १४० वीं नियमों में सीहता के आदेश ५, नियम १९क और आदेश २१, नियम ९२ १२। में संशोधन करने की चाहत की गई सिफारिशों का भी पुनः समर्थन करते हैं।

{एस. रंगनाथन}

सदस्य

{पी. एम. बशीर}

सदस्य

{के एन सिंह}

अध्यक्ष

श्च. प्रभाकर राव;

सदस्य-सचिव

{इ. एन. मंदाशव}

सदस्य

{एम मार्क्य}

सदस्य

याद टिप्पणी

- 1 तथा दंड प्रक्रिया सीहता के विषय में भी ।
- 2 आयोग की 48 वीं, 102 वीं, 113 वीं, 132 वीं, 141 वीं और 142 वीं रिपोर्टों में इसी प्रकार से अलग-अलग संसोधनों के सुझाव दंड प्रक्रिया सीहता में वृहत् रूप से परिवर्तन करने की सिफारशों के पूरक के रूप में दिए गए थे जिनके आधार पर दंड प्रक्रिया विधि को 1973 में सीहतावद कियागया था ।
- 3 दैवित: 1877 के अधिनियम की अनुसूची का अनुच्छेद 175 क, 1908 के अधिनियम की अनुसूची का अनुच्छेद 176 और 1963 के अधिनियम की अनुसूची का अनुच्छेद 120 ।

- * * -